



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2267]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 30, 2011/अग्रहायण 9, 1933

No. 2267]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 30, 2011/AGRAHAYANA 9, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2011

का.आ. 2719(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के क्रमशः स्तंभ (1) और स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट पुरानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या और नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या के, सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सेक्शन के, सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट भूखंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात् :—

सारणी

पुरानी राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	सेक्शन	किलोमीटर में भू-खण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)
232ए	31	उत्तर प्रदेश राज्य में उन्नाव-लालगंज (एन एच-232)	0.500 कि.मी. से 66.000 कि.मी. तक
231	31	उत्तर प्रदेश राज्य में रायबरेली-जौनपुर	0.720 कि.मी. से 169.600 कि.मी. तक
232 (उत्तर प्रदेश राज्य में पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग)	31, 128 और 335	उत्तर प्रदेश राज्य में अम्बेडकरनगर-रायबरेली-बांदा	0.000 कि.मी. से 287.000 कि.मी. तक

[फा. सं. एनएच 14013/07/2009-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th November, 2011

S.O. 2719(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretches, specified in column (4) of the Table below, of the Section specified in the corresponding entry in column (3) of the Table, of the New National Highway No. and the Old National Highway No. specified in the corresponding entry in columns (1) and (2) respectively of the Table, to the National Highways Authority of India, namely:—

TABLE

Old National Highway No.	New National Highway No.	Section	Stretches in Kilometers
(1)	(2)	(3)	(4)
232A	31	Unnao-Lalganj (NH- 232) in the State of Uttar Pradesh	From km. 0.500 to km. 66.000
231	31	Raibareli-Jaunpur in the State of Uttar Pradesh	From km. 0.720 to km. 169.600
232 (Complete National Highway in Uttar Pradesh)	31, 128 and 335	Ambedkarnagar-Raibareli-Banda in the State of Uttar Pradesh.	From km. 0.000 to km. 287.000

[F.No. NH-14013/07/2009-P & M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2011

का.आ. 2720(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना संख्याक का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

- "24 राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2क, सं. 7, सं. 11 [17.756 कि.मी. से 42.525 कि.मी. (आगरा-यूपी/राजस्थान सीमा), छत्तीसगढ़ राज्य को छोड़कर], सं. 19, सं. 24 [27.62 कि.मी. से 488.27 कि.मी. (गाजियाबाद-मुरादाबाद-बरेली-सीतापुर-लखनऊ सरकार" जिसके अंतर्गत हापुड़ और मुरादाबाद बाईपास भी है) और आर.ओ.बी. 180.325 कि.मी. को छोड़कर], सं. 24क, सं. 27 [0.000 कि.मी. को छोड़कर (रा.रा. 2 का 211.700 कि.मी.) से 5.410 (रा.रा. 27 का नया संरक्षण को छोड़कर], सं. 28ख, सं. 29 [गोरखपुर-फर्रुखा-सोनोली खंड और 2.225 कि.मी. से 208.500 कि.मी. तक (वाराणसी-गोरखपुर, खंड) को छोड़कर], सं. 56, सं. 58 [52.250 कि.मी. से 152.000 कि.मी. (मेरठ-मुजफ्फरनगर-उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड सीमा) को छोड़कर], सं. 72क, सं. 73, सं. 74, सं. 75 [90.00 से 103.00 कि.मी. तक (मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा से झांसी तक) को छोड़कर], सं. 76, सं. 86 [7.43 कि.मी. से 130.100 कि.मी. तक (कानपुर से कबरई खंड तक) को छोड़कर], सं. 87 [8 कि.मी. पर छोटे सेतु और 30.050 कि.मी. पर मुख्य सेतु को छोड़कर], सं. 91 [23.600 कि.मी. से 419.000 कि.मी. तक (गाजियाबाद-अलीगढ़-कानपुर खंड) को छोड़कर], सं. 91क, सं. 92, सं. 93 [0.00 कि.मी. से 79.00 कि.मी. तक (आगरा-अलीगढ़ खंड) को छोड़कर], सं. 96, सं. 97, सं. 119, सं. 231 [0.720 कि.मी. से 169.600 कि.मी. तक (रायबरेली-जौनपुर) को छोड़कर], सं. 232क [0.500 कि.मी. से 66.000 कि.मी. तक (उन्नाव-लालगंज) (रा.रा. 232) को छोड़कर], सं. 233 और सं. 235 उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर स्थित भाग।

[फा. सं. एनएच-14013/07/2009-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और का.आ.1792 (अ), तारीख 3 अगस्त, 2011 द्वारा उसका अंतिम संशोधन किया गया ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2011

S.O. 2720(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the Schedule to the said notification, for serial number 24 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

- “24 So much of National Highway No. 2A, No. 7, No. 11 [excluding from km. 17.756 to km. 42.525 (Agra-UP/Rajasthan Border)], No. 19, No. 24 [excluding from km. 27.62 to km. 488.27 (Ghaziabad-Moradabad-Bareilly-Sitapur-Lucknow including Hapur and Moradabad by passes) and R.O.B. at km. 180.325], No. 24A, No. 27 [excluding from km. 0.000 (km. 211.700 of NH No. 2) to km. 5.410 (new alignment of NH 27)], No. 28B, No. 29 [excluding Gorakhpur-Pharenda-Sonauli Section and from km. 2.225 to km. 208.500 (Varanasi-Gorakhpur Section)], No. 56, No. 58 [excluding from km. 52.250 to km. 152.00 (Meerut-Muzaffarnagar-Uttar Pradesh/Uttarakhand Border)], No. 72A, No. 73, No. 74, No. 75 [excluding from km. 90.00 to km. 103.00 (Section from Madhya Pradesh/ Uttar Pradesh Boarder to Jhansi)], No. 76, No. 86 [excluding from km. 7.43 to km. 130.100 (Kanpur to Kabrai Section)], No. 87 (excluding a Minor bridge at km. 8 and a Major bridge at km. 30.050), No. 91 [excluding from km. 23.600 to km. 419.000 (Ghaziabad-Aligarh-Kanpur Section)], No. 91A, No. 92, No. 93, [excluding from km. 0.00 to km. 79.00 (Agra-Aligarh Section)], No. 96, No. 97, No. 119, No. 231 [excluding from km. 0.720 to km. 169.600 (Raibareli-Jaunpur)], No. 232 A [excluding from km. 0.500 to km. 66.000 (Unnau-Lalganj (NH 232))], No. 233 and No. 235 as are situated within the State of Uttar Pradesh.”

Government
of Uttar Pradesh”.

[F. No. NH-14013/07/2009-P & M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Footnote : The principal notification was published *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 1792(E), dated the 3rd August, 2011.